

अनुमति की शर्तें ।

- (1) मूल भवन / पूरक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) मूल निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

मकाल खिडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

नगर निगम, जोधपुर

दिनांक 08/01/2021

श्री+1
आवासीय

कमरा नम्बर 848 दिनांक 08/01/2021
 श्री **खेम सिंह पंवार** डा 10 श्री **खेम सिंह पंवार**
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No- 799/16 जाम जोधपुर
 धारा 194 (1) (म) के तहत आवासीय खमरा संख्या 755/50 श्री **खेम सिंह पंवार** की बाकी
 भवन निर्माण हेतु मानक कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये **8469/- जमा**
 करिये रसीद संख्या **9069/8468 8469**
 दिनांक **08/01/2021** को जमा करा दी है ।

9/1/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

Handwritten signature

राजेश बरिहास

978400085